म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./भा.भु.यो/रबी–14/2018/3691 भोपाल, दिनांक 28/03/2019
प्रति

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति – ....
जिला – ....

विषय :– रबी 2019 "जय किसान समृद्धि योजना" अंतर्गत खरीदी की सतत् पर्यवेक्षण करने बाबत्।
संदर्भ :– मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पत्र कमांक/भावांतर/3636 दिनांक 15.03.2019।

रबी 2019 "जय किसान समृद्धि योजना" अंतर्गत गेहूं की खरीदी अवधि दिनांक 25.03.2019 से 24.05.2019 तक निर्धारित है। योजनांतर्गत उपार्जन केन्द्रों, मंडी प्रांगण एवं मंडी बोर्ड द्वारा दिये गये एकल लायसेंस अंतर्गत आईटीसी के कय कन्द्रों पर विकय करने वाले पंजीकृत कृषकों को प्रोत्साहन राशि 160 रूपये प्रति क्विंटल के मान से देय होगी।

प्रश्नाधीन अवधि में मंडी प्रांगणों एवं कय केन्द्रों पर सतत् पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. मंडी प्रांगण में गेहूं की आवक की नियमित रूप से समीक्षा करें, तथा सचिव से प्रतिदिन की सत्यापित रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करें।

2. केता व्यापारियों की खरीदी प्रारंभ की स्थिति में स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराकर उसकी समीक्षा करें, जिससें व्यापारियों द्वारा रिसाईकिलिंग की संभावना को समाप्त किया जा सकें।

3. योजनावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची जारी करने वाले, विकय संव्यवहार इन्द्राज करने वाले कर्मचारियों को समय–समय पर रोस्टर आधारित ड्यूटी लगाई जावें तथा रेडण्म तौर पर निरीक्षण करें जिससें कागजी/काल्पानिक खरीदी पर नियंत्रण हो सकें।

4. मंडी प्रांगण एवं आईटीसी के कय केन्द्रों के प्रवेश द्वारा पर सी.सी.टी.व्ही कैमरे कियाशील स्थिति में हो जिनकी रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जाने की समुचित व्यवस्था करावें।

5. रबी 2019 में योजनांतर्गत पंजीकृत किसानों को, शत् प्रतिशत नगद भुगतान नही किया जाना है। इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय के निर्देश कमांक/भावांतर/2830 दिनांक 25.08.2018 एवं पत्र कमांक 3636 दिनांक 15.03.2019 के बिन्दु कमांक का अनिवार्य रूप से पालन कराया जावें।

6. इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची की संख्या तथा आवक तथा विकय करने वाले किसानों की संख्या एवं उपज की मात्रा का मिलान कराकर सतत् समीक्षा करें।

उपरोक्तानुसार सतत् रूप से पर्यवेक्षण एवं निगरानी करते हुए योजना का कियान्वयन सुनिश्चित करावें।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner

क./भा.भु.यो/रबी–14/2018/3672 भोपाल, दिनांक 28/03/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2. कलेक्टर जिला – .... (समस्त)।
3. अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त/ उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय – .... (समस्त)।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner